30/09/21 उपस्थित हुए। वकील वादी
अनुपस्थित। वकील वादी को बार-
बार कहा-सुना कर न्यायालय समय
से न्यायालय समय समाप्त होने
आधा घंटा लगभग गई बावजूद वकील
वादी एवं वादिनी की ओर से कोई
उपस्थित नहीं हुआ। अतः वादिनी का वाद
अग्रग्रहणी अग्रग्रहणी पेशी में खारिज किया
जाता है। लागत वाद नियमानुसार वादी
प्रतिवादी अपना अपना वहन करेंगे।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 15:05:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner